

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर महोदय श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही-

थाना बिलासपुर :-310 ग्राम चरस नाजायज के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 01-09-2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा नदीम उर्फ छोटा पुत्र जमील निवासी ग्राम नगलिया आकिल थाना अजीमनगर, रामपुर हाल निवासी ग्राम खोंदलपुर नई बस्ती थाना बिलासपुर, रामपुर को पूंजी रिसोर्ट कस्बा बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 310 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-298/20 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।



थाना बिलासपुर :-310 ग्राम चरस नाजायज के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना गंज :-02 वाहनों से 16 भैंस वंशीय पशुओं (कटरे, कटिया) को ले जाते हुए 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार-

दिनांक 31-08-2020 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर पहाडी गेट से केमरी रोड पर 02 वाहनों (एक पिकअप व एक छोटा हाथी) से 16 अद्द भैंस वंशीय पशु (कटरे, कटिया) बरामद कर 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। पिकअप नं0-यूपी. 21सीएन 0708 से 09 तथा छोटा हाथी नं0-यूपी. 22टी 3090 से 07 भैंस वंशीय पशु बरामद हुए जिनके चारों पैर व मुंह कूरता पूर्वक रस्सी से बंधे हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

01—छोटा उर्फ रऊफ पुत्र महमूद निवासी बजरिया खानसामा, फोडे शाह की मजार थाना गंज, रामपुर (पिकअप चालक)।

02—फर्डम पुत्र रसीद निवासी काशीराम कॉलोनी, पहाडी गेट थाना सिविल लाइन, रामपुर (छोटा हाथी चालक)।

03—परवेज पुत्र बब्बू निवासी बंगला आजाद, दोमहला रोड थाना कोतवाली, रामपुर (छोटा हाथी परिचालक)।

बरामदगी—16 अद्द भैंस वंशीय पशु (कटरे, कटिया)।

कार्यवाही—

मु0अ0सं0—283/20 धारा 3/11 पशु कूरता अधिनियम बनाम छोटा उर्फ रऊफ आदि 03 नफर।



थाना गंज :-02 वाहनों से 16 भैंस वंशीय पशुओं (कटरे, कटिया) को ले जाते हुए 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

थाना गंज :-छोटा हाथी से 05 भैंस वंशीय पशुओं (कटरे) को ले जाते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

दिनांक 01-09-2020 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा गस्त व चौकेंग के दौरान पहाडी गेट से केमरी रोड, काशीराम कालोनी के सामने से एक छोटा हाथी नम्बर यू.पी. 22एटी 3643 से 05 अद्द भैंस वंशीय पशु (कटरे) बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामद पशुओं के चारों पैर व मुंह कूरता पूर्वक रस्सी से बंधे हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

लईक अहमद पुत्र सददीक निवासी काशीपुर आंगा थाना गंज, रामपुर।

बरामदगी-05 अद्द भैंस वंशीय पशु (कटरे)।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-284/20 धारा 3/11 पशु कूरता अधिनियम बनाम लईक अहमद।



थाना गंज :-छोटा हाथी से 05 भैंस वंशीय पशुओं (कटरे) को ले जाते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना शाहबाद :-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 31-08-2020 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा बोबी पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम रवाना पट्टी थाना शाहबाद, रामपुर को ग्राम रवाना रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 लीटर नाजायज शराब बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0-382/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 31-08-2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा राजेन्द्र पुत्र रामकुंवर निवासी रम्मनपुर थाना बिलासपुर, रामपुर को वृहद ग्राम रम्मनपुर रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-296/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई :-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 31-08-2020 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा कल्याण पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम ठिरिया सालेपुर थाना पटवाई, रामपुर को ठिरिया सालेपुर जाने वाले रास्ते पर बन्द पड़े भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में 50 लीटर नाजायज शराब बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर मु0अ0सं0-168/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना पटवाई :-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।